

26-5-2015

पत्रावली राजस्व लोक अदालत जाम
पंचायत शपथवाक पर प्रस्तुत हुनी
उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्ष ने
बलया कि पुरख में शिमा जिला कलेक्टर
मदरेफ टोक निर्णय दि 30-3-94 को
पालना होना है।

उक्त भारतीय न्यायालय के
निर्णय दि 30-3-94 को छापा प्रती
नयन तद्वतीलपर वनेन को मिश्रकार्य
जाने कि के निर्णय अउरार वादरुक्त
पूरी पाएके व प्रतियासी के वाम
राजस्व रेकार्ड में दर्ज करे। निर्णय

सुनाया गया। पत्रावली केंद्रसुनाए
होकर नक्का के रूप में।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोक

(Handwritten signature)
(Circular stamp)